

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्रीमती कमला पुत्री देवीलाल भील निवासी बालदियों का खेड़ा, पारी खेड़ा वगैरा
बनाम

श्री प्रताप पिता रामा भील निवासी आमली, तहसील मावली वगैरा

प्रकरण संख्या 11/2024 (रा.अ.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.10.25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलाण्ट्स अनुपस्थित। अधिवक्ता विपक्षीगण उपस्थित। रुक-रुक कर तीन चार बार आवाजें लगवाने पर भी अपीलाण्ट्स तथा उनके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। पुनः न्यायालय समय में रुक-रुक कर आवाजें लगवाई गईं फिर भी अपीलाण्ट्स तथा उनके अधिवक्ता में से कोई भी उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ कार्यालय के अभिलेख के प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> 	